बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website ; basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

कार्य. अध्यक्ष
* साबर भारती
मो.-9955849473

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो.-9431091417 E-mail: shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव : * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष : * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष : * विनोद आनन्द

पत्रांक: 18 दिनांक: 6-7-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **कुमार अनुज (कोटि क्र०– 1224/11), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक श्री कुमार अनुज का अभ्यावेदन जो भवदीय को प्रेषित है कि प्रति संलग्न की जाती है। श्री कुमार अनुज पर श्री आदेश तितरमारे, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश पर दो प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि प्राथमिकी से पूर्व श्री कुमार अनुज का पक्ष भी जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि गृह विभाग का आदेश पत्र 6211, दिनांक– 09.06.2008 का अनुपालन भी नहीं किया गया है जिसमें वर्णित है कि "राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, किसी विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई है तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (Means rea) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (Conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि Not all losses are criminal losses.

ध्यान रहे कि सभी सरकारी अधिकारी/कर्मी राज्य सरकार के अंग हैं इसलिए यदि किसी के कार्यकलाप से सरकार को क्षति होती है तो सरकार, जो कि नियोजक (Employer) है उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वह उक्त कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करें।"

उपरोक्त के आलोक में संघ का अनुरोध है कि मामले का गहन समीक्षा कर श्री कुमार अनुज को न्याय दिलाने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की कृपा की जाय। साथ ही गृह विभाग के निदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाय, ताकि भविष्य में निर्दोष पदाधिकारी पर कार्रवाई से रोका जा सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग को उनके विभाग से निर्गत निदेश का अनुपालन कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

पत्रांक अंच/01 दिनांक : 16-05-2017

प्रेषक,

कुमार अनुज,
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर।
वर्त्तमान वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– श्री आदेश तितरमारे, जिला पदाधिकारी महोदय, भागलपुर के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आपराधिक विद्वेष एवं सुनियोजित षड्यंत्र के साथ प्राथमिकी दर्ज कर फर्जी आपराधिक एवं विभागीय मामले में फँसाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि मेरे अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पदस्थापन कार्यकाल में किये गये कार्यों के क्रम में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम यह भी ज्ञात हुआ कि अन्य कई मामले पर भी जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा जाँच दल गठित की गयी है। विदित हो कि पिछले एक महीने के समाचार पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता कि श्री आदेश तितरमारे सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचकर सूचनाओं को अपने कनीय पदाधिकारी खास कर उप विकास आयुक्त, श्री अमीत कुमार के माध्यम से लीक करते हैं, जिसका उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी का मान हनन के साथ–साथ दोषसिद्धि पूर्व दोषी सिद्ध करने की है। यह सब सुनियोजित षड्यंत्र रचकर की जा रही है।

वर्णित करना चाहूँगा कि सभी जाँच व प्राथमिकी अधोहस्ताक्षरी के भागलपुर से स्थानान्तरण के उपरान्त शुरू की गयी है। अर्थात् लगभग 20 महीने जब तक श्री आदेश तितरमारे अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षी पदाधिकारी थे, तब तक उन्हें अधोहस्ताक्षरी के कार्यकलाप में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई, परन्तु स्थानान्तरण के उपरान्त सभी त्रुटियाँ आपराधिक दिखने लगी एवं त्वरित कार्रवाई भी होने लगी। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में निम्नांकित साक्ष्य/तथ्य भवदीय संज्ञान लेने हेतु उपस्थापित की जा रही है।

(i) मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं बैच का पदाधिकारी हूँ एवं मेरी नियुक्ति वर्ष 2007 में हुई है। तब से अब तक विगत दस वर्षों में मेरी पदस्थापना नवादा में परीक्ष्यमान अवधि के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा; उप समाहर्त्ता, मुख्यमंत्री सचिवालय; अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय सदर, वरीय उप समाहर्त्ता, राज्य स्वास्थ्य समिति के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर के पद पर कार्यरत था। मेरा कार्यकाल अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के रूप में वर्ष 2010–2013 एवं भागलपुर में दिनांक 13.05.2015 से 24.03.2017 तक रहा। मेरे भागलपुर के पदस्थापन के पूर्व एवं अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सदर के कार्यकाल में किसी भी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। वर्णित हो कि श्री आदेश तितरमारे, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यकाल के समय अधोहस्ताक्षरी के पदस्थापन अवधि में जिला भागलपुर में कई महत्त्वपूर्ण प्रशानिक विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य कार्य सम्पादित किये गये एवं उक्त अवधि में श्री तितरमारे के द्वारा भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी। अधोहस्ताक्षरी के स्थानान्तरण के उपरान्त ही श्री तितरमारे ने अपनी पद की गरिमा के विरूद्ध आपराधिक षड्यंत्र के तहत कार्य किया है। इस संबंध में अगर कारणों की विवेचना की जाय, तो तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः अंकित किये जा सकते हैं :–

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए खाद्यान माफियाओं के विरूद्ध फरवरी, 2016 से जनवरी 17 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7EC के तहत 17 मामले विभिन्न थानों में दर्ज कराया गया था, जिससे कि खाद्यान्न माफियाओं एवं उनसे लाभ प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों में खलवली मच गई थी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा इन अनाज माफियाओं के विरूद्ध लगातार किये जा रहे कार्रवाई पर कई बार नाराजगी जतायी गयी थी एवं कई मौखिक निदेशों के द्वारा कई अभियुक्तों के पक्ष–विपक्ष में कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया था। उनके द्वारा कई बार कड़े लहजे में दुनियादारी समझने एवं परिपाटी में न चलने पर कई दुष्परिणाम भुगतने का इशारा किया गया था।

(ख) बाजार समिति में विस्थापितों को जगह दिये जाने की पूरी कार्य योजना पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर की सहमति प्राप्त की गयी थी एवं लिखित प्रतिवेदन आयुक्त, भागलपुर

प्रमंडल एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के माध्यम से बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद् को भेजी गयी थी। द्वय उच्चाधिकारियों ने अपनी अनुशंसा एवं कार्य योजना को उत्कृष्ट बताते हुए सरकार में अग्रेतर कार्य हेतु भेजा था। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यकाल के दस महीने के दौरान पूरी कार्य योजना के कार्यान्वयन में उन्हें निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में कोई त्रुटि नजर नहीं आयी, जबकि उसी मामले में अधोहस्ताक्षरी के स्थानान्तरण के उपरान्त फर्जी परिवाद पत्र प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज करवा दी गयी।

(ग) यहाँ पर यह वर्णित करना आवश्यक है कि श्री आदेश तितरमारे स्वयं एवं अपने आशुलिपिक, प्रेम कुमार के द्वारा कई गलत आदेश एवं कार्य अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से करवाना चाहते थे। उक्त सभी मामलों पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विनम्रता पूर्वक विरोध अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किया जाता रहा। उक्त आदेशों में विवादित भूमि पर किसी पक्ष विशेष के लिए विरोधात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करवाना, अपने चहेते जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर कार्रवाई न करना, अनाज माफियाओं पर प्राथमिकी न दर्ज कराना, छापेमारी की गतिविधि कम करना एवं विदेशी शराब उपलब्ध करवाना सम्मिलित था। स्पष्ट है कि इनमे से किसी तरह के मौखिक आदेश/निदेश का अनुपालन संभव नहीं था। "अतः भविष्य के दुष्परिणाम" की रूपरेखा आपराधिक षड्यंत्र रचकर गढ़ी गई।

(घ) अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लोकहित व राज्यहित में किये गये कई कार्य भी आम जनता में लोकप्रियता के कारण श्री आदेश तितरमारे को नापंसद थे। उदाहरणार्थ वृहद अतिक्रमणमुक्त भागलपुर अभियान चलाना, मिशन मंजुषा का संचालन, भागलपुर हाट की स्थापना, अन्यान्य विधि–व्यवस्था की समस्याओं का सफल निराकरण आदि कई कार्यों पर श्री तितरमारे की नाराजगी आम थी। श्री तितरमारे कई समस्याओं के काल्पनिक कारण अधोहस्ताक्षरी को समझते थे। उदाहरणार्थ भागलपुर में आयी प्रलयंकारी बाढ़ पर उच्चाधिकारियों से मिली डांट के लिए वे अधोहस्ताक्षरी को जिम्मेदार समझते थे।

(ङ) इस संबंध में यह भी कहना आवश्यक है कि मेरी वृद्ध माँ जो स्वयं एक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की पत्नी है, के मेरी परेशानी को देखकर स्वविवेक से एक पत्र विभिन्न स्तरों पर दिनांक 30.04.2017 को लिखा था। उक्त पत्र की जानकारी होने के

बाद आनन–फानन में जिला पदाधिकारी के निर्देश से मुझपर दो प्राथमिकी जैसा कि मैं उपरोक्त कंडिका में वर्णित किया है, की गयी है, जो स्थापित नियमों के विपरीत है।

2. मैंने अपने पदीय दायित्वों के नियमानुसार निर्वहन करने के बावजूद भी मेरे स्थानान्तरण के बाद स्थापित नियमों के विपरीत दो प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो निम्नवत है :–

(क) बबरगंज थाना भागलपुर कांड सं0–89/2017 जो कि मेरे अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति बागबाड़ी (वि0) भागलपुर दिनांक 02.05.2017 के कार्यकाल से संबंधित है।

(ख) आदमपुर थाना कांड सं0– 219/2017 दिनांक 08.05.2017 जो कि भागलपुर सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सबौर प्रखंड के लोदिपुर पंचायत में पंचम चरण की विकास मित्र की नियुक्ति में अनियमितताओं से संबंधित है।

उक्त दो दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में कहना है कि–

(i) प्रथम प्राथमिकी जो कि मेरे अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन, बाजार समिति से संबंधित है। उक्त प्राथमिकी का आधार एक आर0टी0आई0 कार्यकर्त्ता के परिवाद पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 631 दिनांक 17.03.2017 द्वारा गठित जाँचदल के द्वारा दिनांक 29.04.2017 को समर्पित प्रतिवेदन आधार है। इस संबंध में कहना है कि–

(क) उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि जाँच दल द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि–"**श्री कुमार अनुज, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी–सह विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन, बाजार समिति के विरूद्ध समस्त के आलोक में अनुशानात्मक/दंडात्मक कार्रवाई के रूप में विभागीय कार्रवाई/निगरानी जाँच/प्राथमिकी की अनुशंसा के साथ–साथ जाँच कार्य समाप्त करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।**" इससे यह स्पष्ट है कि जाँच दल द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं किया गया है। क्योंकि जाँच दल को केवल परिवाद की जाँच कर

अपना प्रतिवेदन देना नियमों के आलोक में है, न कि अपनी अनुशंसा कि मुझपर क्या कार्रवाई की जाय।

(ख) संबंधित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें यह अंकित है कि संबंधित जाँच परिवाद पत्र पर शुरू किया गया है। इस संबंध में कहना है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र पर जाँच कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र 945 दिनांक 24.06.2015 में अंकित निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया गया परिलक्षित होता है। क्योंकि जाँच प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं है कि आरोपकर्त्ता से भी किसी बिन्दु पर पृच्छाएँ ली गयी है या उनका पक्ष लिया गया है। जबकि उक्त नियम के आलोक में परिवाद पत्र प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम आरोपकर्त्ता परिवाद पत्र की सम्पुष्टि के साथ–साथ शपथ–पत्र एवं साक्ष्य प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई किये जाने का उल्लेख है एवं उनसे प्राप्त शपथ–पत्र एवं सम्पुष्टि के बाद पत्र की कंडिका–7 के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी का आदेश है। इस मामले में उक्त दिशा–निर्देश की अवेहलना करते हुए जाँच कार्य किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त दिशा–निर्देश की छाया प्रति संलग्न है **(परिशिष्ट–1)**

(ग) दूसरा प्राथमिकी जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा उनके पत्रांक 907 दिनांक 08.05.2007 द्वारा थानाध्यक्ष, आदमपुर थाना को दिये गये पत्र के आलोक में दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी बिहार महादलित विकास मिशन निदेशक के ज्ञापांक 1586 दिनांक 03.05.2016 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शिका में विकास मित्र के चयन की प्रक्रिया की अवहेलना करने से संबंधित है। इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि कृपया प्राथमिकी के पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें यह अंकित है कि–**"सबौर प्रखंड के लोदिपुर पंचायत के लिए विकास मित्र के चयन की प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी–सह–नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा प्रारंभ करते हुए दिनांक 30.09.2016 को चयन समिति की बैठक आहूत की गयी।"** इससे यह स्पष्ट है कि नियक्ति संबंधी निर्णय एक समिति द्वारा लिया गया था। उक्त पत्र में किसी परिवाद पत्र जिसके आधार पर जाँच किया गया, का उल्लेख नहीं है। यह जाँच नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित थी, जो किसी चयन समिति द्वारा किया गया था, तो ऐसी स्थिति

में मात्र मुझपर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना किसी भी वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

(घ) इस संबंध में मैं आपका ध्यान गृह विभाग का पत्रांक 6211 दिनांक 09.06.2008 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सरकारी कार्यों में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा करने/प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में है, जिसमें यह अंकित है कि––**"अतः उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई, तब ऐसी परिस्थिति में संबधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रकृति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई है तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होगा कि दुराशय/अपराध भावना (mensrea) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि not all losses are criminal losses."**

(ङ) इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा निर्गत आदेश में यह भी उल्लेखित है कि किसी कार्यकलाप से सरकार को क्षति होती है तो सरकार जो कि नियोजक है उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि उक्त कर्मी पर किसी प्रकार की कार्रवाई करे। प्रथम प्राथमिकी जो कि राजेश्वरी कुमारी पोद्दार, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल सदर, भागलपुर एवं द्वितीय प्राथमिकी जो जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा दर्ज करायी गयी है, में प्रथम प्राथमिकी जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा आदेशित है, जबकि द्वितीय प्राथमिकी में इसका उल्लेख नहीं कि यह किनके आदेश से दर्ज किया गया है। सरकारी नियमों के आलोक में जिला पदाधिकारी को यह शक्ति प्रदत्त नहीं है कि किसी कर्मी या पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दें। यह शक्ति नियोजक (Employer) को प्रदत्त

है। मेरे मामले में यह शक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर निहित है, न कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर। जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देना अपने कार्यक्षेत्र के बाहर है।

विदित हो कि प्रथम प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व मुझसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ या मेरा पक्ष नहीं लिया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम मामले में मुझपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–7 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व मेरा पक्ष जानना आवश्यक था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन देय शक्ति के अनुरूप नियमानुसार निष्पक्ष ढंग से किया गया है, जाने अनजाने में किसी प्रक्रियात्मक अनियमितता हो भी गई हो, तो उक्त प्रक्रियात्मक अनियमितता के लिए नियमों से हट प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया जाना स्थापित नियमों एवं न्यायादेशों के विपरीत है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार विचार करते हुए मेरे उपर लगाये गये आरोपों में क्रम में मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद ही अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने संबंधी निर्णय लेने की कृपा करेंगे। साथ ही यह प्रार्थनीय होगा कि षड्यंत्र रक्षा के दिशा में भवदीय आवश्यक संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
(कुमार अनुज)

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित। Gen Sec. BASA / President BASA

16/05/2017 16/05/2017

(कुमार अनुज)

समय पर
2007 के
तो उक्त

ंक 536
कार्यवाही
न में तीन
र्रवाई भी

ारियों को

1 अगस्त

मलों का
सरकारी
क जटिल
तीन दिन
ारियों एवं
यथानुसार
लग्न की
ख्या ओ॰
न्तु इसके

के लिए

रण

हस्ताक्षर

(क) सहायक के लिये

साप्ताहिक बकाया सूची।

.....विभाग

सहायक का नाम.....दिनांक.....को समाप्त सप्ताह के लिए लंबित आगत कागज-पत्रों एवं फाइलों की कुल संख्या.....

(1) तीन दिन से कम.....

(2) तीन दिन से अधिक.....

क्रम सं॰	लंबित मामलों का ब्यौरा	किस तारीख से लंबित	विलम्ब का कारण
	अधिकारी या विभाग, जिनसे प्राप्त हुआ है, का पदनाम या नाम सहित पत्र, ज्ञाप या अन्य पत्राचार जो प्रारम्भिक आगत कागज पत्र होता है, की संख्या एवं तारीख, या फाइल संख्या एवं विषय		

सहायक का हस्ताक्षर

बिहार सरकार गृह विभाग पत्र संख्या-ई/वि॰-01-425/07-6211 दिनांक 9 जून, 2008.

विषय : सरकारी कार्यों में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा करने/प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई बार पाया गया है कि बिना application of mind तथा mens rea देखे ही सरकारी पदाधिकारियों कर्मचारी के विरूद्ध क्षेत्रिय/विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। अक्सर इसका कुप्रभाव विकास एवं अन्य कार्यों की प्रगति पर पड़ता है जो राज्य हित एवं लोकहित में प्रतिकूल है।

अतः उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, किसी विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्क होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई है तो विभागीय कारवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (means rea) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि not all losses are criminal losses.

ध्यान रहे कि सभी सरकारी अधिकारी/कर्मी राज्य सरकार के अंग हैं इसलिए यदि किसी के कार्यकलाप से सरकार को क्षति होती है तो सरकार, जो कि नियोजक (employer) है उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है। कि वह उक्त कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करें।

विभागीय कार्यवाही पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन राज्यादेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्रांक-3/एम॰ 7/2005 का॰-945, दिनांक 24.6.05, प्रेषक श्री जी॰ एस॰ कंग, मुख्य सचिव, बिहार। सेवा में, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-16514, दिनांक 5.12.1980, पत्रांक-13830, दिनांक 14.12.1989 तथा पत्रांक-2451 दिनांक-23.3.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पत्रांक 16514 दिनांक-5.12.1980 के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि अनाम बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुलापत्र और पैम्फलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायगी। जहां परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहां भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जांच की प्रक्रिया आरम्भ की जाय इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

2 परन्तु, उपर्युक्त प्रकार से कार्रवाई के उपरान्त भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और उन्हें हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किये गये परिवादपत्र जांचोपरान्त बेबुनियाद एवं निराधार पाये जाते रहे है। ऐसी स्थिति में पत्रांक-13830, दिनांक 14.12.1989 के अन्तर्गत सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि सरकारी सेवक के विरूद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध उनके नियंत्रक, पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र लिया जाय कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने को तैयार है। दिनांक-14.12.1989 के उपर्युक्त परिपत्र में पत्रांक-2451, दिनांक-23.3.2005 के तहत आंशिक संशोधन संसूचित किया गया कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से शपथ पत्र नहीं मांगा जायेगा, परन्तु संपुष्टि और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने के संबंध में उनसे सम्पुष्टि प्राप्त कर लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

3. एक ही विषय पर उक्त तीन परिपत्रों के लागू रहने से उसकी व्याख्या में कभी-कभी भ्रम हो जाने की गुंजाइश हो गयी है। जहां सरकार कृतसंकल्प है कि कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार की नीतियां सही रूप से प्रतिबिंबित हो सकना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी ठहराये जाय, वही सरकार चिन्तित भी है कि प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और पदाधिकारियों को हतोत्साह करने के उद्देश्य से प्रेरित अनाम, बेनामी और छद्मनामी परिवादों की प्रवृत्ति पर भी रोक प्रभावी ढंग से लगी रहे। सरकार की इस चिन्ता को प्रभावी और स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से उक्त परिपत्रों के तहत लिये गये निर्णयों का समेकन कर एक स्पष्ट एवं प्रभावी अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक-16514, दिनांक-5.12.1980 पत्रांक-13830, दिनांक-14.12.1989 तथा पंत्राक-2451, दिनांक-23.3.2005 को अवक्रमित करते हुए तथा सारे पहलुओं पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि:-

(1) अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों/परिवादपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(2) पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुला पत्र और पैम्फलेटों पर भी तदनुसार कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(3) आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार है।

(4) लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद के माननीय सदस्यों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं मांगा जायेगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनसे लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जायेगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।

(5) अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(6) उप कंडिका (3) एवं (5) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं शपथपत्र प्राप्त नहीं हो सकने तथा उप कंडिका (4) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवादपत्र को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त उप कंडिका (3), (4) एवं (5) के अनुसार निबन्धित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। जांच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय या नहीं- यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

●

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जानेवाले मामलों में पदाधिकारी/कर्मचारी कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में

पत्रांक-3/एम॰-73/2007-का॰-1821, पटना-15, दिनांक 23.5.2007, बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागए प्रेषक, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिवए सेवा में, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी।

विषय-रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जानेवाले मामलों में पदाधिकारी/कर्मचारी के कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में।